	मु .नं. 07 / 2022 सांवलाराम बनाम नरेन्द्र कुमार वगैरह
25.11.024	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सांकड़ पटवार हल्का सांकड़ तहसील सांचौर के नवीन खसरा नम्बर 1110 रकबा 6.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1111 रकबा 6.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1122 रकबा 2.74 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1123 रकबा 2.72 हैक्टयर भूमि सहखातेदारी आई हुई है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की स्वअर्जित आराजी है। जिसमें प्रार्थी का हक हकूक व अधिकार व कब्जा है। जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई का हक अधिकार कब्जा नही है। प्रार्थी के पिता हेमाराम के खातेदारी में द्वितीय सेटलमेंन्ट अधिकारी ने दर्ज कर दी तथा उनके फौत होने पर कदिमी वंशानुगत प्रार्थी के खाते में दर्ज हुई तथा शेष भूमि नवीन खसरा नम्बर 1111 रकबा 6.06 हैक्ट[illegible]प्रार्थी पुनमा, मोहनलाल,नोजी व खसरा नम्बर 1122 रकबा 2.74 है[illegible]र अप्रार्थी [illegible]लाल,भागीरथराम, भीखी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:07:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

खाते में किसी सक्षम अदालत के घोषणा या डिक्री के बिना अवैध व गैरकानूनी रूप से दर्ज दी। द्वितीय सेटलमेन्ट अधिकारीयों को किसी व्यक्ति की खातेदारी की घोषणा करने या भूमि को हस्तान्तरण करने का कानूनी अधिकार नही था। अप्रार्थीगण प्रार्थी को ऐलानिया धमकिया दी कि वादग्रस्त आराजी को बैचान करने का सौदा तय हो गया है, आप कब्जा खाली कर दो। अन्यथा आपको जबरन बैदखल कर कब्जा कराएगे। जिससे ऐसा करने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही है। मौके कब्जा प्रार्थी का व माठे कायम हैं जिसमें प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है वादग्रस्त आराजी का गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण या कोई अन्य व्यक्ति सम्पूर्ण भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर देते है तो प्रार्थीगण का अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयो पैसों में नही आका जा सकता है। ऐसी प्रस्थितियों में वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश फरमावे।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 व 9 ने जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में प्रार्थी पक्ष के तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि यह भूमि सांवताराम की स्वअर्जित नही है क्योंकि यह भूमि भी सांवताराम को उसके पिता हेमाराम से प्राप्त हुई है इसलिए प्रार्थी ने स्वअर्जित भूमि बताया है जो गलत है। इसलिए स्वअर्जित नही कहा जा सकता तथा ग्राम सांकड़ में हेमाराम व भीयाराम की प्रथम सर्वे के वक्त जो भूमि थी वो सामलाती थी चाहे व किसी के नाम दर्ज हुई हो कुछ भूमि संयुक्त रूप से दर्ज थी परन्तु जो भी ग्राम सांकड़ में भूमि थी दोनों भाईयों के सामलाती थी तथा जब आपसी विभाजन किया गया तो आपसी विभाजन अनुसार एक–दूसरे के हक में उस अनुसार बयान कर नाम दर्ज करवा दी गई। वादग्रस्त आराजी दोनों परिवारों का शुरू से संयुक्त रूप से कब्जा रहा हैं प्रार्थना पत्र के तीनों मूलभूत आधार स्तंभ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर गौर किया जाए तो तीनों ही आधार बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित न होकर हम अप्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है क्योंकि इस भूमि पर 50 वर्षो से हमारी अलग से ढाणी बनी है तथा 35 वर्षो से हमारे नाम खातेदारी में दर्ज है जो निर्वविवाद दो पीढी से दर्ज चली आ रही है। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति प्रार्थी को न होकर हम अप्रार्थी को होने का अंदेशा होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी न कर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में हमारे खातेदारी हको की रक्षा के लिए जारी की जावे।

हमनें वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 ता 9 संयुक्त खातेदारी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होता है। अतः हित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:07:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner